

21/6/17

प्रकरण आज -यात्र आपके द्वार कैंम्प में पेश हुआ।
प्राथमिक उपस्थित। अग्रणी उपस्थित। पत्रावली की
बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
व्याख्यान में प्राथमिक अर्थों पर स्वीकार किया
जाता है। तहसीलदार, रो. 206 को आदेशित किया
जाता है कि खसरा नं. 637/13 में जे. दे. में पत्रावली
की उपस्थिति में नै. बं. का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली कौशल कुमार हेमट नंकर से
किए गए।